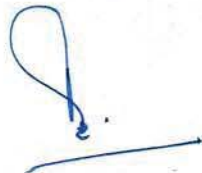


पत्रांक-श्रम क०सं०-52/2026-1077
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, प० चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 6,00,000/- (छः लाख रुपए) एवं 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 3,00,000/- (तीन लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 9,00,000/- (नौ लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौर, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	स्व० रामकिशुन महतो, 61, बिगा महतो, अनुसूचित जनजाति	श्री देवी, (पत्नी)	412, 01.04. 2026	ग्रा०-कैरी, पो०+थाना+प्रखण्ड-गौनाहा, जिला-बेतिया 8294302658	321961 29262	SBI, SBIN000 2936	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
02.	स्व० जितेन्द्र नाथ, 29, सुरेन्द्र नाथ, अनुसूचित जनजाति	ज्योति देवी, (पत्नी)	414, 01.04. 2026	ग्रा०-कैरी, पो०-गौनाहा, थाना-सहोदरा, प्रखण्ड-गौनाहा, जिला-बेतिया 8863856796	358348 96554	SBI, SBIN001 6010	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
03.	स्व० शिव कुमार दास, 50, शिव नाराण दास, अनुसूचित जाति	चम्मा देवी, (पत्नी)	450, 10.04. 2026	ग्रा०-दुमदुमवा, पो०-सिहपुर, थाना-साठी, प्रखण्ड-लौरिया, जिला-बेतिया 8294990776	577018 210005 257	BOB, BKID00 05770	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रामी (बोंस का घर बनाने) का कार्य
04.	स्व० भगन मुसहर, 41, नमी मुसहर, अनुसूचित जाति	गायती देवी, (पत्नी)	452, 10.04. 2026	ग्रा०-बनहवा मटियरिया, पो०-शेखा मस्जिदवा थाना-मटियरिया, प्रखण्ड-गौनाहा, जिला-बेतिया 8081559139	808155 9139	Airtel Payment Bank, AIRP000 0001	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
05.	स्व० सोनी देवी, 33, राधा किशुन, अनुसूचित जाति	राधा किशुन, (पति)	453, 10.04. 2026	ग्रा०-खरसाल बरवा, पो०-कठार, थाना-धनहा, प्रखण्ड-मधुबनी, जिला-बेतिया 9798666173	239481 000295 29	BOB, BARB0 DHAH WA	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
06.	स्व० ध्रुव राम उर्फ ध्रुव राम, 62, रामबली राम, अनुसूचित जाति	सरस्वती देवी, (पत्नी)	455, 10.04. 2026	ग्रा०-सुखबन, पो०-पटखौली मलकौली, थाना+प्रखण्ड-बगहा, जिला-बेतिया 7488258002	228384 8838	CBI, CBIN02 81783	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर



07.	स्व० हरदेव काजी, 56, श्यामनारायण काजी, अनुसूचित जनजाति	चनमाती देवी, (पत्नी)	458, 10.04. 2026	ग्रा०-कोहरगड्डी, पो०-मितिहरवा, थाना-प्रखण्ड-गौनाहा, जिला-बेतिया 6201870132	319083 14542	SBI, SBIN000 2936	रु० 2,00,000 /- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
08.	स्व० शम्भु राम, 35, राजदेव राम, अनुसूचित जाति	इशरावती देवी, (पत्नी)	460, 10.04. 2026	ग्रा०-रूपही घघवा, पो०-कठार, थाना-धनहा, प्रखण्ड-मधुबनी, जिला-बेतिया 6386805200	239481 000288 28	BOB, BARB0 DHAH WA	रु० 50,000 /- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पेंटर का कार्य
09.	स्व० अखिलेश कुमार, 24, भरत दास, अनुसूचित जाति	सोना देवी, (माता)	462, 10.04. 2026	ग्रा०+पो०+थाना-साठी, प्रखण्ड-लौरिया, जिला-बेतिया 9162744376	440111 32472	SBI, SBIN000 1219	रु० 50,000 /- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल :- रु० 9,00,000 /- (नौ लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-52/2026-1077

पटना, दिनांक :- 17/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 9,00,000/- (नौ लाख रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, प० चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

17/08/2026
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक